पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अग्रेषित मिसल दिनांक 6/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

6/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अग्रेषित मिसल दिनांक 20/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

20/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17/2/17 को प्राप्त।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालीसेन द्वारा उपखण्ड से हल्का रिपोर्ट दिनांक 1.9.16 को की कि अपार्थी ने ग्राम पंचायत रामदेवरा जाति बावरी के निवासी के मौजा मेलावास के ख.नं. 192 रकबा 0.24 किस्म गैर मुमकिन पंचायत में संवत 2073 खरीफ में पत्थरों से कच्ची दिवार बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है।

इस प्रकार अपार्थी के विरुद्ध LRAC 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे अपार्थी ने विधिवत तामिल करवाया गया। इस नोटिस के जवाब में गैरआवेदक ने दिनांक 28/3/16 को जवाब पेश किया जिसमें उसने बताया कि ख.नं. 192 के रकबा 0.24 है. पर उसका कब्जा वंशानुगत पंचायत से है तथा उसके भरण पोषण का एकमात्र जरिया है।

इस पर पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो कि दिनांक 17/2/17 को प्राप्त हुई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपार्थी ने हाल ही संवत 2073 खरीफ में इस ख.नं. 192 रकबा 0.24 है. पर अतिक्रमण किया है तथा उसका यह कथन कि वह पंचायत से काबिज है गलत है। साथ ही राजस्व में आवेदनी को इस भूमि से बेदखल किया जाना अति आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों व परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अपार्थी का प्रतिवाद आधारहीन व अवैध कब्जा है अतः अपार्थी को आवेदनी नोटिस किया जाता है तथा उसे उक्त आवेदित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। गैरआवेदक को लगान रु. 20 x 0.24 = 4.8 का 50 गुणा रु. 240/- (दो सौ चालीस रु.) पुर्नगणना किया जाता है। गैरआवेदक को नोटिस भेजकर बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली एवं मांग नकली में पटवारी बाकी की व TRA को लिखा जावे। पत्रावली का पालना नोट लगाकर दफ्तर से नकल हो।

विशेष रूप से फरमान जुर्माना जारी।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

नायब तहसीलदार मेड़ता
नं. 2016-17 ... दिनांक 9/2/17
सं. 4 केपी 62 सं. 16 ... पर दर्ज की
तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता